सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 349 — 1 आषाढ़ 1929 शकाब्द

राँची, शुक्रवार 22 जून, 2007

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

22 जून, 2007

एस०ओ०-5, दिनांक 22 जून, 2007--झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 21, 2006 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड राज्य में स्थित वनस्पति एवं रिफाईन्ड खाद्य तेल की उत्पादक इकाईयों हेतु निम्न शर्त्तों के अधीन निम्न तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष में भुगतेय मूल्यवर्द्धित कर के बदले अनुमानित कर भुगतान करने की अनुमति प्रदान करते हैः-

तालिका

क्रम सं०	विवरण	अनुमानित कर
1.	अधिसूचना प्रभावी होने की तिथि से 5 वर्षों तक	अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के प्रति मिट्रिक टन पर वार्षिक दर 250 रुपये के बराबर

2. शर्त्तें-

(क) अनुमानित कर के लिए आवेदन देने वाले उत्पादक व्यवसायी झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के साथ संलग्न प्रपत्र JVAT 103 में उस अंचल में आवेदन देंगे, जिसके क्षेत्राधिकार में इकाई अवस्थित है ।

(ख) ऐसे उत्पादक व्यवसायियों से प्राप्त आवेदन की जाँच एवं अग्रिम भुगतान के पश्चात् अंचल प्रभारी 15 दिनों के अन्दर उन्हें अनुमानित कर प्रमाण पत्र झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के साथ संलग्न प्रपत्र JVAT 108 मे निर्गत करेगा ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत नियत रकम का भुगतान करने वाले व्यवसायी को अपने उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री का सही-सही लेखा-जोखा रखना होगा । उत्पादन के संबंध में किसी प्रकार के संदेह की स्थिति में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत निहित उत्पादन संबंधी वैधानिक पंजी में उत्पादन से संबंधित प्रविष्टि के आधार पर ही नियम रकम की वसूली की जाएगी ।

(घ) आवेदक उत्पादक व्यवसायी इकाई को इनपुट कर क्रेडिट की सुविधा प्राप्त नही होगी ।

(ड.) उक्त इकाईयों को कर-वीजक (Tax-Invoice) निर्गत करने की सुविधा प्राप्त नही होगी तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से गयी इनपुट टैंक्स की राशि इन इकाईयों से वसूल की जाएगी ।

(च) उक्त इकाईयों को झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 61(1)(a) के अनुसार राज्य के बाहर से मंगाये गये माल की बिक्री नहीं करनी होगी ।

(छ) उक्त व्यवसायियों पर झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 61(1)(a) के अनुसार अन्तर्राज्य बिक्री तथा देश के बाहर निर्यात करने की सुविधा प्राप्त नहीं होगी । ऐसा किया जाता है तो इसके निर्धारित Presumptive tax की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ज) उक्त इकाईयों पर झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 29, 35 एवं 36 के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

(झ) अनुमानित कर का भुगतान विहित समय में एवं सभी प्रासंगिक विवरणी की दाखिला एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 21, 2006 द्वारा संशोधित) एवं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

(ट) उक्त अनुमानित कर की योजना सभी वर्त्तमान इच्छुक इकाईयों पर लागू होगी ।

3. उक्त अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होगी ।

[वा० कर 1/वैट/विविध/40/2006/1647]

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जे० के० दास,

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 349--300+500--शनि मुण्डा ।